भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2795

05 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

शहरी परिवहन संबंधी मामले

2795. श्री सुब्रत पाठक:
श्री रवि किशन:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री चन्द्र शेखर साहू:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन से संबन्धित मामलों का समन्वय, मूल्यांकन और अनुमोदन राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटी), 2006 के उपबंधों के अनुसार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस नीति के तहत अब तक प्राप्त और स्वीकृत शहरी परिवहन मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई समीक्षा की है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरों के लिए 15 वर्ष पुरानी एनयूटी नीति अब किस सीमा तक उपयोगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 एक नीतिगत दिशानिर्देश है जो शहरी परिवहन परियोजना के विकास के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करता है। शहरी परिवहन शहरी विकास का अभिन्न अंग है,जो राज्य का विषय है, इसलिए शहरी परिवहन मामलों की योजना, निष्पादन और विकास से संबंधित कार्य राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी)

द्वारा किया जाता है। व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) आदि तैयार करने सहित शहरी परिवहन से संबंधित मामलों जैसे बस और संबंधित बुनियादी ढांचा, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस), मेट्रो रेल सिस्टम आदि के लिए वित्तीय सहायता विभिन्न मानकों जैसे राज्य सरकारों के संसाधन/निजी भागीदारी और विभिन्न योजनाओं/नीतियों के तहत ऐसी शहरी परिवहन प्रणाली के लिए स्थापित संस्थागत तंत्र का मूल्यांकन करने के बाद प्रदान की जाती है।

(ख): एनयूटीपी 2006 के बाद प्राप्त की गई और स्वीकृत शहरी परिवहन परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। मेट्रो रेल नीति 2017 के जारी होने के बाद, मेट्रो परियोजनाओं को मेट्रो नीति के तहत मंजूरी दी जाती है।

(ग): शहरी परिवहन योजना और क्षमता निर्माण योजना जो एनयूटीपी 2006 का हिस्सा है, के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/यूएलबी/संस्थानओं/संगठनों को निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

- सभी प्रकार के यातायात और परिवहन का अध्ययन, स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) अध्ययन/ उपाय, यातायात सूचना प्रणाली केंद्रों, इंटरमॉडल एकीकरण,पार्किंग परिसर आदि की स्थापित करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) लागू करने से संबंधित अध्ययन के लिए अध्ययन लागत का 80%, अनुदान के रूप में दिया जाता है।
- मास रैपिड ट्रांजिट जैसे- मेट्रो रेल, मोनो रेल, लाइट रेल ट्रांजिट, ट्राम रेल परियोजनाएं आदि के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु कुल परियोजना लागत का 50% तक।
- बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, सिटी बस सर्विसेज, इंटरमीडिएट पैरा प्रणाली परियोजना, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट (एनएमटी), पब्लिक बाइक शेयरिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो केबल और रोपवे परियोजनाएं जैसी कम लागत वाली परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने की लागत का 80% तक ।

उपरोक्त के अलावा, शहरी परिवहन में अनुसंधान परियोजनाओं और क्षमता निर्माण को भी इस योजना के तहत वित्त पोषित किया जाता है जिसके लिए परियोजना लागत का 100% संबंधित संस्थानओं/संगठनों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

(घ): जी, नहीं ।

(ड.): प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुलग्नक

"शहरी परिवहन के मामलों" के संबंध में दिनांक 05.08.2021 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(क) मेट्रो रेल परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.में)
I	दिल्ली	दिल्ली मेट्रो फेज II और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित एक्सटेंशन	124.9
		दिल्ली मेट्रो फेज III और विस्तार (विभिन्न चरणों में)	159.9
II	गुजरात	अहमदाबाद मेट्रो फेज I	35.96
III	हरियाणा	रैपिड मेट्रो फेज I और II(निजी पहल)	11.70
IV	कर्नाटक	बैंगलोर मेट्रो फेज I	42.30
		बैंगलोर मेट्रो फेज II	72.10
V	केरल	कोच्चि मेट्रो फेज I	25.60
VI	महाराष्ट्र	मुंबई मेट्रो लाइन III	33.60
		नागपुर मेट्रो	38.215
		पुणे मेट्रो	33.283
		मुंबई मेट्रो लाइन I (सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड)	11.40
VII	राजस्थान	जयपुर मेट्रो	12.067
VIII	तमिलनाडु	चेन्नई मेट्रो फेज I	45.045
		चेन्नई मेट्रो फेज I एक्सटेंशन	9.051
IX	तेलंगाना	हैदराबाद मेट्रो	72.00
X	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मेट्रो	22.878
		नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो	29.70
XI	पश्चिम बंगाल	कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर	14.67

टिप्पणी: मेट्रो रेल नीति, 2017 के जारी होने के बाद, इस नीति के तहत मेट्रो रेल परियोजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन किया जाता है।

(ख) पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम योजना के तहत बसों की खरीद और सहायक अवसंरचना परियोजनाएं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत बसों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,910
2	अरुणाचल प्रदेश	25
3	असम	530
4	बिहार	651
5	चंडीगढ़	270
6	छत्तीसगढ	392
7	दिल्ली	1,728
8	गोवा	100
9	गुजरात	803
10	हरियाणा	150
11	हिमाचल प्रदेश	875
12	जम्मू और कश्मीर	150
13	झारखंड	250
14	कर्नाटक	2,851
15	केरल	750
16	मध्य प्रदेश	609
17	महाराष्ट्र	3,525
18	मेघालय	360
19	मणिपुर	25
20	मिजोरम	25
21	नागालैंड	25
22	ओडिशा	125
23	पुदुचेरी	100
24	पंजाब	370
25	राजस्थान	715
26	सिक्किम	66
27	तमिलनाडु	1,600
28	तेलंगाना	210
29	त्रिपुरा	175
30	उत्तर प्रदेश	1,310
31	उत्तराखंड	145
32	पश्चिम बंगाल	2,174
	कुल	**22,994**

(ग) बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (बीआरटीएस)

क्र.सं.	**शहर**	**लंबाई (कि.मी.में)**
1	गुजरात	147.4
2	मध्य प्रदेश	53.84
3	राजस्थान	39.45
4	महाराष्ट्र	156.95
5	आंध्र प्रदेश	60.38
6	पश्चिम बंगाल	15.50
7	पंजाब	31.00
	कुल	**504.52**

******